संख्या-190/2020/2578/22-2-2019-17(12)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2* *लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2020*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी-जिला-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-06.08.2019) दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भूले सिंह, जो-ग्राम, लालपुर, थाना-भावनपुर, जिला-मेरठ का रहने वाला है। बंदी द्वारा राजीनामा न होने की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25.05.1999 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147,148, 307/149,302/149, के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित कोर्ट संख्या-4, मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2010 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2018 तक 19 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 11 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी की आयु लगभग 65 वर्ष होने, रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहाई की दशा में कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता है, जिससें समाज में रोष व्याप्त होगा, बंदी को जेल में निरूद्ध रखा जाना नितान्त आवश्यक होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुरेन्द्र (बंदी संख्या-15729) पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी-जिला-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-190/2020/2578(1)/22-2-2019 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in